Annexure - LIX

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 2463 / 56 / उ.सू.आ. / 2007
दिनांक : 19 मई, 2007

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

विषय :– उत्तराखण्ड सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 36 / सू0अ0 / XXXI(13)G / 07 दिनांक 13 अप्रैल, 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

उक्त पत्र में वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार औचित्य निम्नवत है:

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के खोलने के संबंध में अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था :

1.1 अधिनियम के अध्याय 4 के अंबर्गत धारा 15(7) पर निम्नवत उल्लेख है :

राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य मुें अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा.

1.1.1 उपरोक्त धारा के क्रम में उत्तरांचल सूचना आयोग (वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग) की स्थापना राजधानी देहरादून में अक्टूबर, 2005 में की जा चुकी है एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है. (संलग्नक–1)

1.1.2 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृत घोषणा दिनांक 14 मार्च, 2006 द्वारा राज्य के दोनों मण्डलों में एक–एक क्षेत्रीय कार्यालय (अल्मोड़ा एवं श्रीनगर) खोले जाने की घोषणा की गयी थी. (संलग्नक 2)

1.1.3 उक्त घोषण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांख्ल सूचना आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग को एकाधिक अनुस्मारकों द्वारा अनुरोध किया जा चुका है (संलग्नक 3,4,5)

1.2 अधिनियम की धारा 15(4) में निम्न व्यवस्था प्रदत्त है :

राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का

प्रयोग कर सकेगाा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है.

1.2.1 उक्त प्रस्तर के क्रम में राज्य सूचना आयोग को प्रतिदिन प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक अपीलों और शिकायतों के सुनवायी के दौरान यह पाया गया कि राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों से शिकायतकर्ताओं तथा अपीलकर्ताओं को राजधानी आने में अत्यंत असुविधा होती है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिये दोनों मण्डलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव दिया गया था. इस प्रकार उक्त प्रस्ताव अधिनियम में वर्णित आयोग के कार्यो के अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध के अंतर्गत पठनीय होगा.

2.0 सूचना आयोग में कुल सृजित पद

उत्तरांचल सूचना आयोग (वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग) के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा अपने पत्र संख्या 301/XXXi(13)/सू0अ0/2006 दिनांक 01 अगस्त, 2006 द्वारा आयोग को निम्न पद स्वीकृत किये हैं :

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सचिव	01(एक)	भारतीय प्रशासनिक सेवा/प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
2	उपसचिव	01(एक)पद	12000–16500
3	निजी सचिव सह कन्सोल ऑपरेटर	01(एक)पद	6500–10500
4	जन सम्पर्क अधिकारी	01(एक)पद	6500–10500
5	समीक्षा अधिकारी	02(दो)पद	5500–9000
6	सहायक समीक्षा अधिकारी	02(दो)पद	4500–7000
7	आशुलिपिक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01(एक)पद	4000–6000
8	लेखाकार	01(एक)पद	(प्रतिनियुक्ति पर)
9	चालक	01(एक)पद	उपसुल से संविदा पर
10	अनुसेवक	04(चार)पद	उपसुल से संविदा पर

सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा पुनः शासनादेश संख्या 409/सू.अ./XXXi13(G)/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के माध्यम से आयोग को सचिव तथा उपसचिव हेतु निम्न पद स्वीकृत किये गये हैं :

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	निजी सचिव	01(एक)पद	6500–10500
2	वैयक्तिक सहायक	01(एक)पद	5500–9000
3	आशुलिपिक	01(एक)पद	4000–6000

2.1 केन्द्र में पदों की स्थिति

केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत गठित हुआ जिसके लिए निम्न श्रेणी के कुल 79 पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनके पदों का विवरण निम्नवत है :

1.	Sr. PPS	Rs. 12000-16500/-
2.	Under Secretary	Rs. 10000-15200/-
3.	P.P.S.	Rs. 10000-15200/-
4.	Administrative Officer	Rs. 8000-13500/-
5.	Court Master	Rs. 8000-13500/-
6.	Section Officer	Rs. 6500-10500/-
7.	PS	Rs. 6500-10500/-
8.	Assistant	Rs. 5500-9000/-
9.	Personal Assistant	Rs. 5500-9000/-
10.	Translator	Rs. 5500-9000/-
11.	Casher	Rs. 4000-6000/-
12.	UDC	Rs. 4000-6000/-
13.	LDC	Rs. 3050-4590/-
14.	Driver	Rs. 3050-4590/-

3.0 दोनों क्षेत्रीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित पदों के मानक :

क्रम संख्या	पदनाम	अपेक्षित पदों की संख्या	मानक
1	संयुक्त सचिव	2	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इस पद के लिये 20 वर्ष की सेवा के अधिकारी की तैनाती की मांगी की गयी है. राज्य में न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति अपेक्षित होगी.
2	निजी सचिव	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
3	आशुलिपिक	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
4	सहायक लेखाकार	2	वित्त सेवा के अराजपत्रित कर्मचारी.
5	चालक	2	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.
6	अनुसेवक	4	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक के क्रम में नियुक्ति अपेक्षित होगी.

उक्त सभी नियुक्तियॉ शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेंगी.

4. शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग विषयक :

आयोग के द्वारा आयोग के निगरानी तथा रिपोर्ट संबंधी उत्तरदायित्वों, उक्त उत्तरदायित्वों में शोध केन्द्रित गतिविधियों, अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणेत्तर गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन के कार्यो के लिए आयोग में प्रभाग को शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग

के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है. उक्त प्रभाग में संपादित किये जाने वाले कार्यो के लिए निम्नलिखित मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उन पदों को सृजित किये जाने की आवश्यकता होगी :

1. प्रमुख शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण	–	01
2. वरिष्ठ शोध अधिकारी	–	01
3. शोध अधिकारी	–	02
4. पुस्तकालाध्यक्ष सह प्रलेखन अधिकारी	–	01

उपरोक्त समस्त पद सेवा अनुबंध के अंतर्गत संविदा पर ही लिये जायेंगे तथा उनके पद उत्तरदायित्वों को आयोग द्वारा अलग से निश्चित किया जायेगा. सभी नियुक्तियॉ शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेगी. पदों की अर्हतायें भी अलग से निश्चित की जा रही हैं जो कि सामान्यतः अन्य विभागों/आयोगों में वर्णित पदों के अनुरूप ही होंगी.

अनुरोध है कि शासन स्तर से उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति आयोग को यथाशीघ्र प्रदान करते हुये दो क्षेत्रीय कार्यालय एवं शोध तथा प्रशिक्षण प्रभाग की स्वीकृति विषयक कार्यवाही करने का कष्ट करें.

संलग्नक : उपरोक्तानुसार.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित.
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्ताराखण्ड शासन, देहरादून शासन को सूचनार्थ प्रेषित.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव